

राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर


आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1600 /2023

दिनांक : 19.05.2023

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश/1357/2023 दिनांक 05.05.2023 के द्वारा श्री परमवीर सिंह चौहान (RJ00312), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, बांसवाड़ा को दिनांक 15.05.2023 से 20.05.2023 तक 06 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 14.05.2023 एवं 21.05.2023 से 22.05.2023 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, जिसे निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से



18.05.2023
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:- स्था.बी.2(4) / 16 / 2000 / 3390

दिनांक : 19.05.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, बांसवाड़ा को उनके पत्रांक 44 दिनांक 04.05.2023 के सन्दर्भ में ।
3. श्री परमवीर सिंह चौहान (RJ00312), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, बांसवाड़ा ।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बांसवाड़ा ।


19.5.2023
सहायक रजिस्ट्रार